

12/10/20 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित।  
प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय है।  
तदसीलदार तिवरी से दोनों पक्षों को सूचित  
कर पुनः बेटवारा प्रस्ताव पेश हुए। P.T.O.

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पिट्टें शामिल मिसल किया गया। वकील वकील  
को बंटवारा प्रस्ताव पर सुना गया। वकील  
वादी का कथन है कि दोनों पत्र को सुनित  
करके कब्जे काश्त के अनुसार बंटवाड़ा  
प्रस्ताव तैयार किया गया है। तथा वकील  
व पड़ोसी मौलविरान के दस्तख्त हैं जिसे  
स्वीकार नहीं करने का कोई कारण नहीं है।  
इसलिए न्यायहित में बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार  
किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की जावे।

हमारे पत्रावली व बंटवाड़ा प्रस्ताव  
का अवलोकन किया, बंटवाड़ा प्रस्ताव व  
राजस्व रेकॉर्ड व एक हिस्से तथा कब्जे  
काश्त के अनुसार तैयार किया जाना  
प्रतीत होता है।

अतः बंटवाड़ा प्रस्ताव को स्वीकार  
किया जाकर ख. न. 452 ख.बा. 90 बीघा  
07 बिस्वा भूमि में वकील लिखाराम,  
रुगनप्रराम, दगनाराम, पीसरान श्री कौलाराम,  
इमरतीदेवी 1/10 कौलाराम, हमीराराम, किलाराम,  
पीसरान श्री बुधाराम, के 1/5 हिस्से में ख. न.  
452 ख.बा. 18 बीघा 1 बिस्वा 08 बिस्वांशी  
तथा खीयाराम पुत्र श्री नारायणाराम, मूलाराम,  
मगवानाराम, जैठाराम, उगाराराम, राजपुराम,  
बीजााराम, पीसरान श्री कानाराम, उमैदाराम  
पुत्र येनाराम, गोरखाराम पुत्र श्री इराराम,  
बगलु पत्नी श्री इराराम, गोकलाराम, किशनाराम  
पीसरान श्री हुकमाराम, चुनाराम, टीकूराम  
पीसरान श्री सोनाराम, कैसू पत्नी श्री सोनाराम  
के ख. न. 452 ख.बा. 42 बीघा 05 बिस्वा  
12 बिस्वांशी भूमि का विभाजन मौके पर व  
राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जावे। बंटवाड़ा  
प्रस्ताव व नजरी नवशा इस डिक्री का भाग  
समझा जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री पत्रा  
जारी किया जावे।

प्रतिवादी सं. 16 तहसीलदार तिवरी  
डिक्री की पालना सुनिश्चित करे पत्रावली फैसल  
शुमार की जाकर दायित्व दफ्तर हो।

रा.मु.जी.

**डिकी ब मुकदमे इब्तदाई**  
(ऑर्डर 21 रूल 6 व 7 जाब्ता दीवानी)  
(सिविल प्रोसेडुर कोड एपीडिक्स डी-1)

अदालत -सहायक कलेक्टर औसिया ।  
लास -रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

वादीगण	प्रतिवादीगण
लिछमणराम पुत्र श्री कोलाराम	1 खीयाराम पुत्र श्री नारायणराम
हमीराराम पुत्र श्री बुधाराम	2 मूलाराम पुत्र श्री कानाराम
किलाराम पुत्र श्री बुधाराम	3 भगवानाराम पुत्र श्री कानाराम
रुगनाथ पुत्र श्री कोलाराम	4 जेठाराम पुत्र श्री कानाराम
छगनाराम पुत्र श्री कोलाराम	5 उगराराम पुत्र श्री कानाराम
इमरतीदेवी पत्नि श्री कोलाराम	6 राजुराम पुत्र श्री कानाराम
जाति जाट निवासी गगाडी	7 बीजाराम पुत्र श्री कानाराम
तहसील तिवंरी जिला जोधपुर ।	8 उम्मेदाराम पुत्र श्री चेनाराम
	9 घमण्डाराम पुत्र श्री हुकमाराम अविवाहित
	फौत जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 10
	से 12
	10 इराराम पुत्र श्री हुकाराम फौत जिनके
	कायम मुकाम
	10-(1) गोरखराम पुत्र श्री इराराम
	10-(2) बगतू पत्नि श्री इराराम
	11 गोकलराम पुत्र श्री हुकमाराम
	12 किशनाराम पुत्र श्री हुकमाराम
	13 चूनाराम पुत्र श्री सोनाराम
	14 टीकूराम पुत्र श्री सोनाराम
	15 केसू पत्नि श्री सोनाराम
	जाति जाट निवासी गगाडी
	तहसील तिवंरी जिला जोधपुर ।
	16 श्री तहसीलदार तिवंरी ।


**मुकदमा नम्बर 72/2019**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू पक्षकार बहाजरी श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट मजानिब मुदई प्रतिवादीगण एक पक्षीय कोई उपस्थित नही मिन मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है डिकी दी जाती है कि ग्राम गगाडी की सरहद मे स्थित खेत खसरा नम्बर 452 रकबा 90 बीघा 7 बीस्वा मे मे वादीगण लिछमणराम, रुगनाथराम, छगनाराम, पीसरान श्री कोलाराम, इमरतीदेवी पत्नि श्री लाराम, हमीराराम, किलाराम, पीसरान श्री बुधाराम, के 1/5 हिस्से मे खसरा नम्बर 452 रकबा 18 बीघा बीस्वा 8 बीस्वान्सी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 खीयाराम पुत्र श्री नारायणराम, मूलाराम, वानाराम, जेठाराम, उगराराम, राजुराम, बीजाराम, पीसरान श्री कानाराम, उम्मेदाराम पुत्र चेनाराम, रखराम पुत्र श्री इराराम, बगतू पत्नि श्री इराराम, गोकलराम, किशनाराम, पीसरान श्री हुकमाराम, चूनाराम टीकूराम पीसरान श्री सोनाराम, केसू पत्नि श्री सोनाराम के खसरा नम्बर 452 रकबा 72 बीघा 5 बीस्वा 12 बीस्वान्सी भूमि का बन्टवाडा प्रस्ताव व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किया जावे व गाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण के हिस्से विभाजित भूमि मे किसी प्रकार की दरखलन्दाजी नही करे, न ही किसी से करावे तथा तहसीलदार द्वारा स्तुत बन्टवारा प्रस्ताव को इस डिकी का भाग समझा जावे। वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करे, परोक्त अनुसार अन्तिम डिकी जारी की जाती है ।

बसबूत मैरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनाक .....12.10.2020.....को जारी की गई ।

द्वई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
जौ दावा			स्टाम्प वकालतनाम		
कालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
हताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाह			फिस कमिश्नर		
का कमिश्नर			बाबत इजराह हुकमनामा		
नाब इजराह हुकमनामा			मुद्दफरीक		
न्य					
योग					

गोट पर्चा खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फूरीकन का, चाहे डिकी के जरीये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।



सहायक कलेक्टर औसिया